

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/12/2017/19/यो-754
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/02/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक में अनुमोदित राजेन्द्रग्राम घोघरी मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

---0---


राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 18.01.2018 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार अनूपपुर जिले के अंतर्गत राजेन्द्रग्राम घोघरी मार्ग लंबाई 50.00 कि0मी0 जिसकी लागत रू0 5899.03 लाख केवल से अधिक न हो की योजना मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में माँग संख्या 24-5054-04-800-0422 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 पुनरीक्षित प्राक्कलन



म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लॉट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/734

भोपाल दिनांक 27/2/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-

मुख्य अभियंता (सी/म)
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/12/2017/19/यो 700
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/02/2018

प्रबंध संचालक
म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक में अनुमोदित दतिया बाईपास की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

--0--

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 18.01.2018 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार दतिया जिले के अंतर्गत दतिया बाईपास मार्ग लंबाई 7.82 कि0मी0 जिसकी लागत रू0 2807.48 लाख केवल से अधिक न हो की योजना मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

CB/MP/19
20/01/18

21/02/18

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में माँग संख्या 24-5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा अदेशानुसार
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

26/909
21/02/18

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लाट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/735

भोपाल दिनांक 27/2/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र 3.01 अरेरा हिल्स
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-

मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्यालय/प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/12/2017/19/यो-762

भोपाल दिनांक 16/02/2018

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

--0--

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 18.01.2018 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत

प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु0 लाख में)
1	भोपाल	24-5054-0101-2457	मिसरोद शिव मंदिर से गुराड़घाट रतपुर नरेला हनुमत खण्डाबड़ मार्ग। (गुराडीघाट रतनपुर को छोड़कर)	10.58	4870.88
2	भोपाल	24-5054-0101-2457	कलियासोत डेम से न्यू बाईपास मार्ग।	12.10	4950.06
	रतलाम	24-5054-0101-2457	रतलाम रिंग रोड़ (बंजली से मांगरोल फंटा) मार्ग।	24.50	4328.42
	धार	24-5054-0101-4149	मनावर सेमल्दा मार्ग पर स्थित नर्मदा नदी पर उच्चस्तरी पुल का निर्माण।	-	5385.00

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में मांग संख्या 24-5054-0101-2457 एवं 24-5054-0101-4149 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

PATIL/E.F.C-A./-2016-Later-71

SyDhame

(Handwritten signature)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/12/2017/19/यो 1296
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/03/2018

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक में अनुमोदित जबलपुर जिला अंतर्गत भेड़ाघाट स्थित सरस्वतीघाट से ग्वारीघाट के मध्य नर्मदा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 18.01.2018 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 71वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत भेड़ाघाट स्थित सरस्वतीघाट से ग्वारीघाट के मध्य नर्मदा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 2618.34 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ अठ्ठारह लाख चौतीस हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में मॉग संख्या 24-5054- 0101-4149 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लाट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/1047 भोपाल दिनांक 11/4/18
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:- 0

मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल